

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक— / / 2020 ई०।

संख्या-4/सै०क०(स्था०)-104/2018...../ विभागीय अधिसूचना सं०-4515, दिनांक- 20.08.2019 द्वारा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, गुमला के पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्नल पंकज कनवर (अ०प्रा०) की अनुबंध अवधि पूर्व की सेवा शर्तों के अधीन दिनांक-30.08.2020 से दिनांक 25.02.2021 तक के लिए विस्तारित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अनिलसन लकड़ा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - 4/सै०क०(स्था०)-104/2018...../ राँची, दिनांक- / / 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - 4/सै०क०(स्था०)-104/2018...../ राँची, दिनांक- / / 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - 4/सै०क०(स्था०)-104/2018...../ राँची, दिनांक- 04/12/2020 ई०।

प्रतिलिपि:- महानिदेशक, पुर्नवास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, के उप सचिव/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सहायक निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची/ कर्नल पंकज कनवर (अ०प्रा०), जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।